

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, रांची

पत्रांक :-वि0प्रा0योजना-53/11

/रांची, दिनांक-

प्रेषक,

जॉर्ज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
बी0आई0टी0 सिन्दरी।

विषय :- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य स्कीम बजट शीर्ष अन्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण तथा स्थापना एवं अन्य प्रयोजन हेतु कुल ₹0 3,00,00,000/- (₹0 तीन करोड़) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक-257/बजट दिनांक-21.03.2024 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-02/योजना दिनांक 06.05.2024 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में संबंधित शीर्ष में उपबंधित राशि व्यय प्रयोजन हेतु कुल ₹0 3,00,00,000/- (₹0 तीन करोड़) मात्र की आवंटन की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान किया जाता है :-

क्र0	इकाई का नाम	बी0आई0टी0 सिन्दरी	कुल
1	वेतन (विपत्र कोड-43S220300112AN000101)	1,00,00,000.00	1,00,00,000.00
2	संविदा भता (विपत्र कोड-43S220300112AN000108)	1,00,00,000.00	1,00,00,000.00
3	व्यावसायिक सेवाएँ (विपत्र कोड-43S220300112AN000329)	1,00,00,000.00	1,00,00,000.00
कुल		3,00,00,000.00	3,00,00,000.00
कुल (₹0 3,00,00,000/- (₹0 तीन करोड़) मात्र			

- उक्त राशि का वहन राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा-लघु शीर्ष-112-इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-उप शीर्ष-AN-डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/तकनीकी शिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण के विभिन्न विस्तृत शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपबंधित राशि ₹0 48,80,00,000/- (₹0 अड़तालीस करोड़ अस्सी लाख) मात्र के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
- स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नहीं किया जाये। यह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाब देही होगी।
- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेंगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोतों से राशि नहीं प्राप्त किया गया है।
- यह राशि राज्य स्कीम से संबंधित है तथा कोड 2101 है।
- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि राशि का भुगतान बैंक एकाउन्ट अंतरण के माध्यम से किया जाएगा।
- राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी होंगे।
- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवंटनादेश निर्गत होने के पश्चात ही राशि की निकासी एवं व्ययन करने के क्रम में विपत्र पत्र पर तदनुसार उपर्युक्त कडिका 02 के बजट शीर्ष विपत्र पर अंकित करेंगे।

9. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक 17/4/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा-निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
10. उक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, धनबाद से की जायेगी।
11. स्वीकृत राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) को होगा।
12. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
13. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
14. व्यय विवरणी, टी०भी०नं०, सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चितक करेंगे।

विश्वासभाजन

ह०/-

(जॉर्ज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :-वि०प्रा०योजना-53/11

/रांची, दिनांक-

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :-वि०प्रा०योजना-53/11/03/बजट

/रांची, दिनांक- 27.05.2024

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/नोडल पदाधिकारी को Upload हेतु/प्रभारी निर्गत शाखा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में रखने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Technical Education Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - VPP-53/11/03/BUDGET

दिनांक - 27-May-2024

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 43 220300112AN000101 2203 - तकनीकी शिक्षा 00 - तकनीकी शिक्षा 112 - इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान AN - डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/तकनीकी शिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण 00-NA 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme	28889	DHNSCT083 DR. RAJENDRA MURMU A.O. CUM D.D.O. BIT SINDRI 01 - वेतन	10,000,000.00 रुपये एक करोड़
	State Scheme : Central Scheme :	STRENGTHENING OF GOVERNMENT TECHNICAL EDUCATIONAL INSTITUTES(2101) NA		
2	S 43 220300112AN000108 2203 - तकनीकी शिक्षा 00 - तकनीकी शिक्षा 112 - इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान AN - डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/तकनीकी शिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण 00-NA 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme	28892	DHNSCT083 DR. RAJENDRA MURMU A.O. CUM D.D.O. BIT SINDRI 08 - संविदा भत्ता	10,000,000.00 रुपये एक करोड़
	State Scheme : Central Scheme :	STRENGTHENING OF GOVERNMENT TECHNICAL EDUCATIONAL INSTITUTES(2101) NA		
3	S 43 220300112AN000329 2203 - तकनीकी शिक्षा 00 - तकनीकी शिक्षा 112 - इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान AN - डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/तकनीकी शिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme	28895	DHNSCT083 DR. RAJENDRA MURMU A.O. CUM D.D.O. BIT SINDRI 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	10,000,000.00 रुपये एक करोड़
	State Scheme : Central Scheme :	STRENGTHENING OF GOVERNMENT TECHNICAL EDUCATIONAL INSTITUTES(2101) NA		

योग: रुपये तीन करोड़
क्रमिक योग:

(GEORGE KUMAR)
JOINT SECRETARY

30,000,000.00